न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2006 G.C.M.S. No. 2006/00007 दर्ज दिनांक : 07.01.2006

अपीलार्थिगण:

1. पालाराम दत्तक पुत्र लालाराम, जाति मीणा, निवासी गुड़ाएंदला तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हस्तु बेवा लालाराम के विधिक वारिसान–
   1/1 कन्या पुत्री लालारामजी, जाति मीणा, निवासी गुड़ाएंदला, तहसील पाली जिला पाली।
   1/2 जोगली पुत्री लालारामजी, जाति मीणा, निवासी गुडाएंदला, तहसील पाली जिला पाली।
2. मृतक रामा पुत्र मगाजी, जाति सीरवी के विधिक वारिसान–
   2/1 चौथीदेवी बेवा रामजी, फौत के विधिक वारिसान–
   2/1/1 पकाराम पुत्र श्री रामाजी फौत के विधिक वारिसान–
   2/1/1/1 रमेश पुत्र पकाराम
   2/1/1/2 नारायण पुत्र पकाराम
   2/1/1/3 सोनिया पुत्री पकाराम
   2/1/2 मोहनराम पुत्र श्री रामाजी
   2/1/3 भंवरराम पुत्र श्री रामाजी, जातिगण सीरवी, निवासीगण गुड़ाएंदला, तहसील व जिला पाली।
   2/1/4 गवरी देवी पुत्री रामाजी, पत्नी धनारामजी, जाति सीरवी, निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली।
   2/1/5 कन्या पुत्री रामाजी, पत्नी समारामजी, जाति सीरवी, निवासी बूसी, तहसील व जिला पाली।
   2/1/6 प्यारी पुत्री रामाजी, पत्नी चुन्नीलालजी, जाति सीरवी, निवासी गुड़ाएंदला, फौत के विधिक वारिसान–
   2/1/6/1 ममता पुत्री प्यारी पत्नी हरजीरामजी, जाति सीरवी निवासी डिंगाई, तहसील पाली जिला पाली।
   2/1/6/2 गीता पुत्री प्यारी पत्नी जसारामजी, निवासी वरकाणा, तहसील व जिला पाली।
   2/1/6/3 नीता पुत्री प्यारी पत्नी बाबुलाल, जाति सीरवी, निवासी कोसेलाव, जिला पाली।
   2/1/6/4 रमेश पुत्र श्री प्यारी निवासी एन्दलाबास, तहसील व जिला पाली।
   2/1/6/5 चुन्नीलाल पति प्यारी जाति सीरवी, निवासी एन्दलावास, तहसील व जिला पाली के विधिक वारिसान–
   2/1/6/5/1 ममता
   2/1/6/5/2 गीता
   2/1/6/5/3 नीता
   2/1/6/5/4 रमेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/1991 बअनवान लालाराम के कायम मुकाम वगैरह बनाम रामा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2005

उपस्थित–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्णसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पी.एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 24.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/1991 बअनवान लालाराम के कायम मुकाम वगैरह बनाम रामा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2005 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम गुडाएन्दला के खसरा नम्बर 698 रकबा 56 बीघा 3 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ वार्षिक लगान 73 रूपये 24 पैसे की भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पति लालीया पुत्र करता मीणा के नाम की खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भूमि थीं। जिसको रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामा पुत्र मना, हिरा पुत्र लछा भोला पुत्र तेजा कौम सीरवी के नाम म्यूटेशन संख्या 463 भर दिया गया तथा बाद में हिरा, लच्छा, भोला, तेजा के फौत होने पर उनको लाऔलाद बताकर म्युटेशन संख्या 686 जरिये रामा पुत्र मना जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 ने अपने नाम दर्ज कर दिया। प्रथम तो लाला पुत्र करता तो जाति से मीणा है, जिसकी खातेदारी परिवर्तन करने का टिनेन्सी प्रावधानों के तहत किसी को कोई अधिकार नहीं था, फिर भी मृतक रामा पुत्र मना कौम सीरवी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। जिसको निरस्त करवाने के लिये व लाला पुत्र करता में अपने स्वयं के नाम दर्ज करवाने के लिये तारीख 30.1.84 को दावा किया, जो दावा अपीलाण्ट के हक में तारीख 24.6.87 को राजस्व वाद संख्या 7/84 को डिक्री हुआ। जिस एकतरफा डिक्री को निरस्त करवाने के लिये उपखण्ड अधिकारी पाली के यहां आवेदन पेश किया है, जो स्वीकार कर पुनः विधिवत सुनवाई के लिये आदेश हुये, जो प्रकरण सुनवाई के लिये चल रहा था। इस दरम्यान वादी लाला का देहान्त हो गया, जिसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये। बाद में रामा का भी देहान्त हो गया, जिसके कायम मुकाम हेतु अपीलाण्ट ने आवेदन किया, जिसमें अपीलाण्ट ने स्पष्ट लिया कि रेस्पोंडेंट रामा के मरने की अपीलाण्ट को जानकारी नहीं थीं। क्योंकि अपीलांट अकाल की वजह से खाने–कमाने के लिये बाहर गया था और तारीख 5.7.2004 को रामा के मरने की इत्तला उसके अधिवक्ता द्वारा देने पर जानकारी हुयी। तब तारीख 4.8.2004

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

को ही आवेदन कर दिया तथा एबेटमेंट को सैटेसाईड करने के लिये धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन मय शपथ–पत्र पेश किये हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कतई विचार नहीं किया और केवल तकनीकी आधार पर अपीलाण्ट के दावे को खारिज कर दिया और इस तरह दावा खारिज करके न केवल अपीलाण्ट के मौलिक हक अधिकारों से वंचित किया है, बल्कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को गलत तौर पर रामा के नाम दर्ज खातेदारी को इस तरह का आदेश करके बहाल रखा है। जिस निर्णय डिक्री को निरस्त करना विधि संगत है। अपीलाण्ट अनुसूचित जन जाति का निर्धन मीणा जाति का व्यक्ति है, अनपढ़ आदमी है। मजदूरी करके अपना ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहा है। निरक्षरता के कारण कानूनी ज्ञान नहीं है, जिस कारण से आवेदन पेश नहीं कर सका। हालांकि अकाल की वजह से अपीलाण्ट गांव में ही नहीं था। यानि कमाने के लिए बाहर गया हुआ था। इसलिये एक ही गांव के व्यक्ति होते हुये भी रेस्पोडेंट के मरने की इतला नहीं कर पाया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने इन पर मनन नहीं करके अपीलाधीन निर्णय डिक्री दी हैं। जो खारिज करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र दिनांक 30.01.1984 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2005 को जरिये अबेटमेंट खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 19.10.2025 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। जो दिनांक 07.01.2006 को दर्ज रजिस्टर की गई।
2. अपीलांट का मुख्य उज्र यह है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 के पिता व रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पति लालीया पुत्र करता मीणा के नाम की खातेदारी भूमि थीं। जिसको रेस्पोंडेंट संख्या 4 रामा पुत्र मना, हीरा पुत्र लच्छा तथा भोला पुत्र तेजा सीरवी के नाम नामांतरण संख्या 463 भर दिया गया। जो बाद में हीरा, लच्छा, भोला, तेजा के फौत होने पर उनको लाऔलाद बताकर नामांतरण संख्या 686 के जरिये रामा पुत्र मना रेस्पोंडेंट संख्या 4 के नाम दर्ज कर दिया गया। जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कानूनन विधिविरूद्ध है। क्योंकि लाला पुत्र करता अनुसूचित जनजाति मीणा समुदाय का सदस्य है तथा रेस्पोंडेंट गैर–अनुसूचित सीरवी जाति के सदस्य है। प्रतिवादी रामा का देहांत होने पर कायम मुकाम हेतु अपीलांट ने आवेदन किया था। जिसमें स्पष्ट लिखा था कि रेस्पोंडेंट रामा के मरने की अपीलांट को जानकारी नहीं थीं। क्योंकि अपीलांट अकाल की वजह से खाने–कमाने के लिए बाहर गया था तथा दिनांक 05.07.2004 को रामा के मरने की इत्तला उसके अधिवक्ता द्वारा देने पर दिनांक 04.08.2004 को कायम मुकाम आवेदन कर दिया था तथा अबेटमेंट को सैटेसाइड करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं कर केवल तकनीकी आधार पर अपीलांट का दावा खारिज कर अपीलांट के मौलिक अधिकारों से वंचित किया है। जबकि अनुसूचित जनजाति के खातेदार की आराजी कानूनन गैर–अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम दर्ज ही नहीं की जा सकती।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 05.07.2004 के अंकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2004 के अनुसार प्रतिवादी अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया द्वारा प्रतिवादी रामा की मृत्यु बाबत सूचनार्थ आवेदन पेश किया, जो अधिवक्ता वादी को नोटेड करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली आगामी दिनांक 04.08.2004 को नियत की गई। दिनांक 04.08.2004 को अधिवक्ता वादी ने कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 01.09.2004 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 02.09.2004 के अंकन अनुसार वकील वादी ने दिनांक 06.08.2004 को आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना न्यायालय में उपलब्ध करवाए जाने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अधिवक्ता वादी द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में चल रही थीं।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2005 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने विवेचन में निम्नानुसार अंकित करते हुए "धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वादी ने यह बताया कि प्रतिवादी रामाराम की मृत्यु 5–6 वर्ष पूर्व हुई हैं। वादी 4–5 वर्षों से लगातार अकाल होने की वजह से मजदूरी हेतु बाहर जाता है। वादी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वह मजदूरी हेतु बाहर कब गया व वापस कब आया ? वादी व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी दोनों एक ही गांव के निवासी है तथा गांव में किसी की मृत्यु हो और गांव में रहने वाले व्यक्ति को इसका पता नहीं चले ऐसा हो नहीं सकता। अतः वादी विलंब का समुचित कारण बताने में पूर्णतया विफल रहा है। इस आधार पर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप वाद वादी अबेट होने से खारिज किया जाता है।"

5. हस्तगत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र में मृतक प्रतिवादी रामा ही एकमात्र प्रतिवादी नहीं था, बल्कि मृतक के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण भी थें। अतः अन्य बिंदुओं पर टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र मत है कि आदेश 22 नियम 4 उपनियम 3 के अनुसार जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम 1 के अधीन नहीं किया जाता है, वहां वाद का जहां तक वह मृत प्रतिवादी के विरूद्ध है, उपशमन हो जाएगा। अर्थात यह सुस्पष्ट विधिक प्रावधान है कि मृतक के अलावा अन्य प्रतिवादी भी संयोजित होने की दशा में केवल मृतक के विरूद्ध ही मृतक की सीमा तक वादपत्र उपशमित हो सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक उपबंध का विवेचन एवं अवलंब लिए बिना संपूर्ण वादपत्र को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा जरिये उपशमन खारिज कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध होने से समर्थन व पुष्टियोग्य नहीं हैं।

6. आदेश 22 नियम 11 क व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण है। जिसके अनुसार न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य होगा कि वह न्यायालय को पक्षकार की मृत्यु की इत्तला देगा और तब न्यायालय ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा और इस प्रयोजन के लिए प्लीडर व मृत पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में मानी जाएगी। अर्थात पक्षकार की मृत्यु की दशा में उसके संबंधित अधिवक्ता की भी समान जिम्मेदारी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक प्रतिवादी रामा के अधिवक्ता द्वारा रामा की मृत्यु के संबंध में दिनांक 05.07.2004 को लिखित आवेदन द्वारा न्यायालय को सूचना उपलब्ध करवाई। जिसे न्यायालय द्वारा अधिवक्ता वादी को सूचित व निर्देशित किया गया तथा उक्त सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर अधिवक्ता वादी द्वारा मृतक का कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। मृतक प्रतिवादी रामा के अधिवक्ता द्वारा भी अपने सूचना पत्र में रामा की मृत्यु की दिनांक के संबंध में कोई अंकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान के संबंध में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई विवेचन नहीं किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

7. चूंकि अधिवक्ता वादी द्वारा मृतक प्रतिवादी रामा के अधिवक्ता द्वारा रामा की मृत्यु की सूचना न्यायालय को उपलब्ध कराने के 30 दिवस के भीतर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र, अबेटमेंट को खारिज करना व विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। वादी ग्रामीण परिवेश का अनुसूचित जनजाति समुदाय का दिहाड़ी मजदूर है तथा अकाल की दशा में मजदूरी के लिए पलायन सामान्य बात है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सभी को इसकी जानकारी होना सामान्य बात है, विलंबकाल को वादी की लापरवाही के रूप में मानते हुए वादपत्र को उपशमित कर दिया गया। प्रथम तो चूंकि वादी का वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित था, अर्थात अधिकारों का निर्धारण किया जाना महत्वपूर्ण विषय था। जिसे महज कठोर तकनीकी प्रक्रियात्मक आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण के आधार पर उभयपक्ष को समुचित अवसर देते हुए निर्णित किया जाना चाहिए तथा ऐसे प्रकरणों में विलंबकाल के संबंध में उदार रूख अपनाया जाना अपेक्षित होता है। साथ ही चूंकि मृतक के अधिवक्ता द्वारा भी विधिक रूप से अपेक्षित कर्तव्य होने के बावजूद मृतक की सूचना यथासमय उपलब्ध नहीं करवाई। अतः इसके बावजूद वादी से अपेक्षा किया जाना विधिसंगत व उचित नहीं माना जा सकता। वस्तुतः वादी को मृतक प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी मृतक प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सूचना उपलब्ध कराने की तिथि से पूर्व होने की धारणा एवं अपेक्षा किया जाना विधिसंगत नहीं माना जा सकता। अतः हमारे विनम्र मत में अधिवक्ता वादी द्वारा मृतक प्रतिवादी रामा के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र में हुआ विलंब का कारण पूर्णतया युक्तियुक्त, समुचित, सद्भाविक एवं स्वीकार योग्य होने से विलंबकाल माफ किया जाकर, धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपशमन को निरस्त करते हुए कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर कानून भूल की हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ कर अबेटमेंट को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर मृतक रामा के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर एवं इसी अनुरूप वादपत्र में संशोधित किये जाने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णयन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/1991 बअनवान लालाराम के कायम मुकाम वगैरह बनाम रामा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2005 को अपास्त किया जाकर अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ कर अबेटमेंट को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी रामा पुत्र मना के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर एवं इसी अनुरूप वादपत्र में संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण पुनः नियमित सुनवाई में लिया जाकर विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 26.03.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर पाली में उपस्थित रहें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा मुर्तिब हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 11/2006 G.C.M.S. No. 2006/00007 दर्ज दिनांक : 07.01.2006

अपीलार्थिगण:

1. पालाराम दत्तक पुत्र लालाराम, जाति मीणा, निवासी गुड़ाएंदला तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हस्तु बेवा लालाराम के विधिक वारिसान–
   - 1/1 कन्या पुत्री लालारामजी, जाति मीणा, निवासी गुड़ाएंदला, तहसील पाली जिला पाली।
   - 1/2 जोगली पुत्री लालारामजी, जाति मीणा, निवासी गुडाएंदला, तहसील पाली जिला पाली।
2. मृतक रामा पुत्र मगाजी, जाति सीरवी के विधिक वारिसान–
   - 2/1 चौथीदेवी बेवा रामजी, फौत के विधिक वारिसान–
   - 2/1/1 पकाराम पुत्र श्री रामाजी फौत के विधिक वारिसान–
   - 2/1/1/1 रमेश पुत्र पकाराम
   - 2/1/1/2 नारायण पुत्र पकाराम
   - 2/1/1/3 सोनिया पुत्री पकाराम
   - 2/1/2 मोहनराम पुत्र श्री रामाजी
   - 2/1/3 भंवरराम पुत्र श्री रामाजी, जातिगण सीरवी, निवासीगण गुड़ाएंदला, तहसील व जिला पाली।
   - 2/1/4 गवरी देवी पुत्री रामाजी, पत्नी धनारामजी, जाति सीरवी, निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली।
   - 2/1/5 कन्या पुत्री रामाजी, पत्नी समारामजी, जाति सीरवी, निवासी बूसी, तहसील व जिला पाली।
   - 2/1/6 प्यारी पुत्री रामाजी, पत्नी चुन्नीलालजी, जाति सीरवी, निवासी गुड़ाएंदला, फौत के विधिक वारिसान–
   - 2/1/6/1 ममता पुत्री प्यारी पत्नी हरजीरामजी, जाति सीरवी निवासी डिंगाई, तहसील पाली जिला पाली।
   - 2/1/6/2 गीता पुत्री प्यारी पत्नी जसारामजी, निवासी वरकाणा, तहसील व जिला पाली।
   - 2/1/6/3 नीता पुत्री प्यारी पत्नी बाबुलाल, जाति सीरवी, निवासी कोसेलाव, जिला पाली।
   - 2/1/6/4 रमेश पुत्र श्री प्यारी निवासी एन्दलाबास, तहसील व जिला पाली।
   - 2/1/6/5 चुन्नीलाल पति प्यारी जाति सीरवी, निवासी एन्दलावास, तहसील व जिला पाली के विधिक वारिसान–
   - 2/1/6/5/1 ममता
   - 2/1/6/5/2 गीता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2/1/6/5/3 नीता
2/1/6/5/4 रमेश
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/1991 बअनवान लालाराम के कायम मुकाम वगैरह बनाम रामा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2005

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्णसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट तथा श्री पी.एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/1991 बअनवान लालाराम के कायम मुकाम वगैरह बनाम रामा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2005 को अपास्त किया जाकर अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ कर अबेटमेंट को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी रामा पुत्र मना के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर एवं इसी अनुरूप वादपत्र में संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण पुनः नियमित सुनवाई में लिया जाकर विधिनुरूप निर्णित करें। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक 24.02.2025 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा मतफर्रिक	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned with OKEN Scanner